न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार– आपूर्ति अपील वाद सं0 25/25 A 2009–10/2013–14 सुधीर पासवान वनाम् राज्य सरकार

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
12.09.2017	*आदेश* प्रस्तुत आपूर्ति अपील वाद 25/25 A 2009–10/2013–14 सुधीर पासवान, पिता श्री रामोतार पासवान, ग्राम–पीरनगरा, थाना–बेलदौर, जिला–खगड़िया द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक 907 दिनांक 18.08.2009 से विछुब्ध होकर दाखिल किया गया है। अपील आवेदन में अपीलार्थी का कहना है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बेलदौर के प्रतिवेदन के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के ज्ञापांक 1107 दिनांक 29.07.2008 से स्पष्टीकरण की मांग की गयी कि मार्च, 07 से मई, 08 तक बी0पी0एल0 खाद्यान्न 09(नौ) माह का उठाकर 04 (चार) माह का वितरण एवं अन्त्योदय खाद्यान्न 08 (आठ) माह का उठाकर 03 (तीन) माह का वितरण किया गया है। इस संबंध में उनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया जिसमें उल्लेख किया गया कि उनके द्वारा उक्त माह का खाद्यान्न का उठाव किया गया है तथा गठित निगरानी समिति उप मुखिया, वार्ड सदस्य के समक्ष वितरण कूपन एवं कुछ उपभोक्ताओं को बिना कुपन का भी पंजी पर हस्ताक्षर कराकर निगरानी समिति के कहने पर वितरण किया गया है। अपीलार्थी का यह भी कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को स्पष्टीकरण के साथ वितरण पंजी, भंडार पंजी जमा किया गया और वितरण कूपन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बेलदौर के पास जमा किया गया था जिसका उल्लेख उनके द्वारा अपने स्पष्टीकरण में किया गया है। इसके बावजूद भी अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के ज्ञापांक 1761 दिनांक 17.12.08 द्वारा उनकी अनुज्ञप्ति को निलंवित कर दिया गया और बिना कारण पृच्छा एवं सूचना के अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक 907 दिनांक 18.08.2009 के द्वारा बिक्रेता के अनुज्ञप्ति सं0–46बी/07 को रद्द कर दिया गया जो कानून के तहत संधारण योग्य नहीं है तथा अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द संबंधी पारित आदेश निरस्त करने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा अपील को अंगीकृत करते हुए निम्न	

न्यायालय से अभिलेख की मांग कर, सुनवाई करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा दिनांक 18.08.2009 द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर आवंटन चालू करने का आदेश देने का अनुरोध किया गया है।

अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का परिशीलन किया। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिला पदाधिकारी, खगड़िया के ज्ञापांक 422 दिनांक 10.07.08 के आलोक में बेलदौर प्रखंड अन्तर्गत पीरनगरा पंचायत के श्री सुधीर पासवान जन वितरण प्रणाली बिक्रेता अनज्ञप्ति सं0–46बी/07 की जॉच प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, बेलदौर से करायी गयी। जिसमें बिक्रेता द्वारा मार्च, 07 से मई ,08 तक बी0पी0एल0 खाद्यान्न 09 (नौ) माह का उठाकर 04 (चार) माह का वितरण एवं अन्त्योदय खाद्यान्न 08 (आठ) माह का उठाकर 03 (तीन) माह का वितरण करना तथा भंडार पंजी, वितरण पंजी मांगने पर उपलब्ध नहीं कराया गया। स्पष्टीकरण के साथ प्राप्त वितरण पंजी पर पंचायत में गठित निगरानी समिति के संयोजक मुखिया तथा पंचायत समिति से वितरण करनें का प्रमाण पत्र नहीं रहने और पंजी भी सही ढंग से संधारित नहीं रहने के कारण बिक्रेता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर बिक्रेता का अनुज्ञप्ति को अनुमंडल कार्यालय गोगरी के ज्ञापांक 1761 दिनांक 17.12.08 से निलंवित करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गयी। और बिक्रेता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाये जाने पर बिक्रेता द्वारा मार्च, 07 से मई, 08 तक बी0पी0एल0 खाद्यान्न 09(नौ) माह का उठाकर 04(चार) माह का वितरण करने तथा अन्त्योदय खाद्यान्न 08(आठ) माह का उठाकर 03(तीन) माह का वितरण करने के आरोप में बिक्रेता का अनुज्ञप्ति संख्या 46बी0/07 को अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक 907 दिनांक 18.08. 2009 से रद्द कर दिया गया।

अपीलार्थी कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित चले आ रहे हैं। अपीलार्थी के लगातार अनुपस्थिति से स्पष्ट है कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा अन्य कोई कागजात एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना है।

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक उपस्थित हुए। उनका कहना है कि अपीलार्थी के लगातार अनुपस्थिति से स्पष्ट है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी द्वारा रद्द संबंधी पारित आदेश सम्यक तथा सही है तथा अपीलार्थी का अपील अस्वीकृत करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा मार्च ,07

से मई, 08 तक बी0पी0एल0 खाद्यान्न 09 (नौ) माह का उठाकर 04 (चार) माह का वितरण करने तथा अन्त्योदय खाद्यान्न 08 (आठ) माह का उठाकर 03 (तीन) माह का वितरण करने संबंधी आरोप सही है। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा उक्त माह के खाद्यान्न उठाव का उक्त सभी माह का खाद्यान्न वितरण करने संबंधी कोई भी साक्ष्य एवं कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह पता चल सके कि बिक्रेता द्वारा उक्त सभी माह का खाद्यान्न वितरण किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है तथा अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक 907 दिनांक 18.08.2009 द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

न्यायालय समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी खगड़िया (बिहार)

समाहर्त्ता, खगड़िया 18/10/17 | समाहर्त्ता, खगड़िया 18/10/17

ज्ञाप सं० 3792/विधि दिनांक 18/10/2017

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं ... प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिला के वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, खगड़िया। 18/10/17